



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2011/माघ 28, 1932

No. 85]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2011/MAGHA 28, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 97(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (समूह "क" और समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उनका संबंध संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, उप-रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, ज्येष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न, परीक्षक, व्यापार चिह्न के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया है या करने का लोप किया गया है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन, महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के कार्यालय में, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (रजिस्ट्रार और परीक्षक) भर्ती नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को तलागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ज्येष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन	02* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. (ग्रेड वेतन 8,900 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)

प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति :
वेतन बैंड-4, वेतनमान, 37,400-67,000 रु. और ग्रेड वेतन, 8,700 रु. में, ऐसा संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन, जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष में इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और

(12)

उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. और ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री

(ii) बॉर में व्यवसाय का बारह वर्ष का अनुभव या किसी राज्य न्यायिक सेवा या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में या व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में विधि के अध्यापन का बारह वर्ष का अनुभव।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्था में विधि के अध्यापन या विधि में अनुसंधान संचालन में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक सम्पदा में पीएच.डी।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|---|----------|
| (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —सदस्य |
| (iii) महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न | —सदस्य |

किसी अधिकारी की, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), पर नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन	04*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. (ग्रेड वेतन 8,700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3, वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 7,600 रु. में, ऐसा उप-रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसा अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक

I. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।

(ii) बॉर में व्यवसाय का बारह वर्ष का अनुभव या किसी राज्य न्यायिक सेवा या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में या व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में विधि के अध्यापन का बारह वर्ष का अनुभव।

या

II. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था में विधि के अध्यापन या विधि में अनुसंधान संचालन में दस वर्ष का अनुभव।

(12)

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक सम्पदा में पीएच.डी।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|---|----------|
| (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —सदस्य |
| (iii) महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न | —सदस्य |

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), पर नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप-रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन	10* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. (ग्रेड वेतन 7,600 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

I.(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री;
 (ii) बॉर में व्यवसाय का दस वर्ष का अनुभव या किसी राज्य न्यायिक सेवा या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में या व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में विधि के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव ।

या

II. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्था में विधि के अध्यापन या विधि में अनुसंधान संचालन में आठ वर्ष का अनुभव ।

घांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक सम्पदा में पीएच.डी ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(11)

(12)

80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड 3, वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 6,600 रु. में ऐसा सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इतने से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(12)

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में, वेतन बैंड-3, वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 6,600 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | |
|---|----------|
| (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —सदस्य |
| (iii) महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न | —सदस्य |

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | |
|---|----------|
| (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —अध्यक्ष |
| (ii) महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न | —सदस्य |
| (iii) ज्येष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन | —सदस्य |

सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), पर नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन	20* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. (ग्रेड वेतन 6,600 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम

(7)

तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

I. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री;
(ii) बॉर में व्यवसाय का पांच वर्ष का अनुभव या किसी राज्य न्यायिक सेवा या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में या व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में विधि के अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव।

या

II. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्था में विधि के अध्यापन या विधि में अनुसंधान संचालन में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

घांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक सम्पदा में पीएच.डी।

आयु : नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले

व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

(11)

(12)

66:67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड 3, वेतनमान 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 5,400 रु. में ऐसा, ज्येष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(11)

(12)

33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, वेतनमान, 15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन 5,400 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) :

- | | |
|---|----------|
| (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | —अध्यक्ष |
| (ii) महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न | —सदस्य |
| (iii) ज्येष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन | —सदस्य |

सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), पर नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. ज्येष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन	25* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. (ग्रेड वेतन 5,400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में

(7)

अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री;
(ii) न्यायालय मामलों और अन्य विधिक मामलों या व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित मामलों के निपटाने में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक सम्पदा में मास्टर डिग्री।

(9)

आयु : नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : हां

(10)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

(11)

75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा,
25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड 2, वेतनमान 9300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन -4,600 रु. में ऐसा, परीक्षक, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी

(12)

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4,600 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें :—

- (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
(ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —सदस्य
(iii) महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न —सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :—

- (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —अध्यक्ष

प्रत्येक अवसर पर, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(13)

- (ii) महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न —सदस्य
 (iii) ज्येष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. परीक्षक, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन	61*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-2, 93,000-34,8000 रु. (ग्रेड वेतन 4,600 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। [और न कि यह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।]

(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; (ii) न्यायालय मामलों और अन्य विधिक मामलों को निपटाने या व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित मामलों को निपटाने में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>घांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक सम्पदा में मास्टर डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव</p>	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(8)

रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड 2, वेतनमान 9300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4,200 रु. में, ऐसा ज्येष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे ऐसे अधिकारी—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में, वेतन बैंड-2, वेतनमान 9,300-34,800 रु. और ग्रेड वेतन 4,200 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

(14)

- समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए)—
- (i) महानियंत्रक, पेटेंट, छिजायन और व्यापार चिह्न —अध्यक्ष
- (ii) ज्वेष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —सदस्य
- (iii) उप रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —सदस्य

सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 8/16/2005-आईपीआर-1]

बी. भास्कर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2011

G. S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Trade Marks Registry (Group A and Group B Gazetted posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Joint Registrar of Trade Marks, Deputy Registrar of Trade Marks, Assistant Registrar of Trade Marks, Senior Examiner of Trade Marks, Examiner of Trade Marks except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to posts in the Trade Marks and Geographical Indications Registry in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, under the Department of Industrial Policy and Promotion namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Trade Marks and Geographical Indications Registry (Registrars and Examiners) Recruitment Rules 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay/scale of pay.—The number of posts, their classification and the pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Senior Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications	02* (2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial	PB-4 Rs. 37,400-67,000 (Grade Pay Rs. 8,900/-)	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)

Promotion-filling which by deputation (including short-term contract)

Promotion :

Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications in the pay band-4 in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000 with grade pay of Rs. 8,700 with two years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short-term contract) :

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; OR

(12)

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-4 of Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

(i) Degree in Law from a recognised University.

(ii) Twelve years practice at a Bar or Twelve years experience in a State Judicial Service or in the Legal Department of a State Government or of the Central Government or in the processing of applications for registration filed under the Trade Marks Act or Geographical Indications Act or in teaching law in a recognised University or Institute.

or

Masters Degree in Law of a recognised University with ten years' experience in teaching law or in conducting research in law in a recognised University or Research Institution.

Desirable :

Ph. D. in Intellectual Property from a recognised University.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :

- | | |
|--|-----------|
| (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| (ii) Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion | —Member |
| (iii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications	04* (2011) *Subject to variation dependent workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	PB-4, Rs. 37,400-67,000 (Grade Pay Rs. 8,700)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
(11)	(12)	
Promotion failing which by deputation (including short-term contract)	<p>Promotion : Dupty Registrar of Trade Marks and Geographical Indications in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 7,600 with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; OR (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>Essential : (i) Degree in Law from a recognised University. (ii) Twelve years experience at a Bar or Twelve years experience in a State Judicial Service or in the Legal Department of a State Government or of the Central Government or in the processing of applications for registration filed under the Trade Marks Act or Geographical Indications Act or in teaching law in a recognised University or Institute.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Masters Degree in Law of a recognised University with ten years' experience in teaching law or in conducting research in law in a recognised University or Institution.</p> <p>Desirable : Ph. D. in Intellectual Property of a recognised University.</p> <p>The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].</p>	

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of :— (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman (ii) Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion —Member (iii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Registrar of Trade Marks and Geographical Indications	10*(2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial	PB-3, Rs. 15,600-39,100 (Grade Pay Rs. 7,600)	Selection	Not applicable	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
Essential : I. (i) Degree in Law of a recognised University; (ii) ten years practice at a Bar or ten years experience in the State Judicial Service or in the Legal Department of a State Government or of the Central Government or in the processing of applications for registration filed under the Trade Marks Act or Geographical Indications Act or in teaching law in a recognised University. OR II. Master's Degree in Law of a recognised University with eight years experience in teaching law or in conducting research in law in a recognised University or research Institution.	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits

(8)

Desirable:

Ph. D in Intellectual Property from a recognised University.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)

80% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.
20% by direct recruitment.

(12)

Promotion :

Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 6,600 with five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or

(ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs.15,600-39,100 with Grade Pay of Rs.6,600 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

(12)

organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:—

- (i) Chairman/Member, Union Public Service Commissioner —Chairman
- (ii) Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion —Member
- (iii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation):

- (i) Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman
- (ii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks —Member
- (iii) Senior Joint Registrar/Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications	20* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600-39,100, Grade Pay Rs. 6600	Selection	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)

Essential :

I. (i) Degree in Law from a recognised University;
(ii) five years practice at a Bar or five years' experience in the State Judicial Service or in the Legal Department of a State Government or of the Central Government or in the processing of applications for registration filed under the Trade Marks Act or Geographical Indications Act or in teaching law in a recognised University.

OR

II. Master's Degree in Law of a recognised University with three years experience in teaching law or in conducting research in law in a recognised University or Research Institution.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable:

Ph. D in Intellectual Property from a recognised University.

(9)

Age : No

Educational Qualifications : Yes

(10)

: One year for direct recruits.

(11)

66.67% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.
33.33% by direct recruitment.

(12)

Promotion :

Senior Examiner of Trade Marks and Geographical Indications in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400 with five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector

628 48711-6

(12)

Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or

(ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation):

- | | |
|--|-----------|
| (i) Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion | —Chairman |
| (ii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks | —Member |
| (iii) Senior Joint Registrar/Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Senior Examiner of Trade marks and Geographical Indications	25* (2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 (Grade Pay of Rs. 5400)	Selection	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

(7)

Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)

(9)

(10)

Essential :

- (i) Degree in Law of a recognised University;
(ii) three years experience in handling Court cases and other legal matters or matters relating to Trade Marks or Geographical Indications.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Masters degree in Intellectual Property from a recognised University.

Age : No

Educational qualifications : Yes

One year for direct recruits and promotees.

(11)

(12)

75% by promotion failing which by deputation (including short-term contract)
25% by direct recruitment.

Promotion :

Examiner of Trade Marks and Geographical Indications in Pay Band-2 in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,600 with three years regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations

(12)

has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,600 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

Note : For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of:—

- | | |
|--|-----------|
| (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| (ii) Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion | —Member |
| (iii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:—

- | | |
|---|-----------|
| (i) Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion | —Chairman |
|---|-----------|

(13)

- (ii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks —Member
- (iii) Senior Joint Registrar/Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Examiner of Trade Marks and Geographical Indications	61* (2011) *Subject to variation dependent on Workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus (Grade Pay of Rs. 4600)	Selection	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) Degree in Law of a recognised University;</p> <p>(ii) two years experience in handling Court cases and other legal matters or in handling matters of Trade Marks and Geographical Indications.</p> <p>Desirable:</p> <p>Masters' Degree in Intellectual Property of a recognised University.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if</p>	No	Two years for direct recruits.

628 50/11-7

(8)

at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available for the posts reserved for them.

(11)

25% by promotion; failing which by deputation
75% by direct recruitment.

(12)

Promotion :

Assistant Examiner of Trade Marks and Geographical Indications in the Pay Band-2 in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200 with five years' regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers under the Central or State Governments or Union Territories :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; OR

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

Note : For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 (the date from which the

(12)

revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission's recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :

- | | |
|---|-----------|
| (i) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks | —Chairman |
| (ii) Senior Joint Registrar/Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications | —Member |
| (iii) Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications | —Member |

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

[F. No. 8/16/2005-IPR-I]
V. BHASKAR, Jt. Secy.

